ऑन लाईन न RCMS 2022/176

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 22/2022

1. श्रीमती किरण गोदारा पत्नी श्री विकास गोदारा जाति जाट निवासी 8-बी-1, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर आदेश दिनाक 20.06.2022 जिसकी रूह से चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 52,53 में रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :

1.श्री सुभाष मिढा , अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.सुरेश अरोडा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: आदेश :: दिनांक :-27.10.2023

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटा के पास चक 7 एम.एल. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/19, मुरब्बा नम्बर 53 में 5.060 हैक्टर भूमि दर्ज है, जमाबन्दी की प्रति सलंग्न है, इस भूमि के लिए रास्ता खुलवाने का आवेदन पत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 02, द्वारा दिनांक 20.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार के सुनवाई किये प्रार्थना पत्र पर ही दि 20.06.2022 को भू-अभिलेख निरीक्षक नेतेवाला के नाम आदेश पारित किया कि मौका पर जांच कर नियमानुसार निस्तारित कर स्वीकृतशुदा रास्ता को चालू करवाया जावें का आदेश पारित किया, इस आदेश के विरूद्व श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली विधि व न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया है, इस कारण निरस्तनीय है। आदेश की प्रमाणित प्रति सलंग्न है।
2. यह कि अपीलांटा के पास चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 52 व 53 में कृषि भूमि है, जिसको अपीलांटा द्वारा काश्त करवाया जा रहा है व मौका पर फसल काश्त है, अपीलांटा की भूमि में किसी प्रकार से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है और ना ही मौका पर कोई रास्ता चालू है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बिना अपीलांटा को सूचना किये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2022 में यह अंकित करना कि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 2 व 3 में कृषि भूमि पडती है तथा किला नम्बर 1 में आने-जाने के लिए रास्ता मंजूरशुदा है, किला नम्बर 1 के

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

काश्तकार द्वारा अवरूद्ध कर रखा है, इस रास्ता को जो कि मंजूरशुदा है खुलवाया जाना का कथन कर एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलांटा की भूमि में किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं है। मौका पर भू-निरीक्षक द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही, जिस पर पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 52 व 53 में मौका पर कोई रास्ता चालू नहीं है, मौका पर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में हरा चारा (ज्वार) व मूंग की फसल तथा मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 5 में हरा चारा व मूंग की फसल काश्त होना अंकित किया है जो स्पष्ट करता है कि किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये मनमाने तौर पर आदेश पारित करने में भारी भूल की है, इस कारण आदेश निरस्तनीय है।

4. यह कि अगर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना में अपीलांटा के कब्जा काश्त की भूमि में जबरदस्ती रास्ता खुलवाया जाता है तो विवाद उत्पन्न होगें तथा इसके अलावा मौका पर फसल हरा चारा व मूंग की काश्त है जो नष्ट होगी तथा अपीलांटा को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस कारण आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांटा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :-

1. यह कि अपीलांटा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील तहसीलदार द्वारा दिये आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसमें तहसीलदार द्वारा अपीलांटा की कृषि भूमि वाके चक 7 एम.एल. के खाता संख्या 20/19 मुरब्बा नम्बर 53 में 5.060 हैक्टर भूमि के लिए रास्ता खुलवाने रेसपोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 से मंजूरशुदा रास्ता को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
2. यह कि इस पर तहसीलदार द्वारा बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये व रिपोर्ट मंगवाये प्रार्थना पत्र पर उसी रोज आदेश किया " **मूल भेज कर लेख है कि मौका व रिकॉर्ड की जांच कर प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण कर स्वीकृत शुदा रास्ता हो तो मौका पर चालु करवाकर पालना पेश करें।** "
3. यह कि इस पर राजस्व पटवारी महियावाली द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 52 व 53 में मौका पर पहुंचकर मुयाना किया तो मौका पर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1/1 में आधा व मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 5 में मौका पर कोई रास्ता चालु नहीं है व मौका पर ज्वार व मूंग की फसल तथा हरा चारा की फसल काश्त की हुई है। इसी प्रकार से आई. एल.आर. द्वारा भी अंकित किया कि रास्ता खुलवाने हेतु फसल नष्ट करना पड सकता है।
4. यह कि रेसपोडेन्ट द्वारा इंतकाल संख्या 41 दिनांक 12.12.1978 के आधार पर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया है, अर्थात 1978 में हुये आदेश की अब 44 वर्ष के बाद पालना चाही है, जब कि मौका पर कभी भी रास्ता नहीं चला। अपीलांटा द्वारा जब एकवा क्रय किया तो उस समय किसी रास्ता का उल्लेख नहीं किया गया व ना ही

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

मौका पर रास्ता था व न ही कभी चला। इस कारण किसी प्रकार से भी न तो तहसीलदार कोई रास्ता मंजूर कर सकता था न ही उसे कोई अधिकार धारा 8(2) Colony condition अधिनियम व धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत था व है क्योंकि केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम है।

5. यह कि सि0प्र0 संहिता के आदेश 21 नियम 103 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी आदेश हो वह डिक्री की परिभाषा में आता है :— Order to be treated as Decree where any app. has been adjudicated upon under Rule 98 or 100 oarder made there on shall have same forace and be subject to the same conditions as to anappeal as iat were a Decaree. अर्थात डिक्री की पालना हेतु अवधि 12 वर्ष होती है, तथा अवधि बाद समाप्त हो जाती है।
6. यह कि तहसीलदार के कार्यालय से छान–बीन करने पर 1978 के आदेश का कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ । जमाबन्दी व इंतकाल में कैसे पृष्ठांकण हुआ तथा उसके उपरान्त आज तक मौका पर कोई रास्ता नहीं चला तो तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अधिकारों के विपरीत होने के कारण भी अब 44 वर्षो के बाद पालना का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
7. यह कि बन्द रास्ता को खुलवाने हेतु सर्व प्रथम पंचायत को अधिकार है, अगर 45 दिन तक पंचायत कार्यवाही नहीं करती तत्पश्चात तहसीलदार को अधिकार हासिल होता है। इस आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर संतुष्ट होकर स्थगन भी जारी किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेसपोडेन्ट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता रेसपोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि रेसपोडेन्ट शारदा देवी की कृषि भूमि हेतु रास्ता न होने के कारण उक्त भूमि के पूर्व स्वामियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 29,53 व 52 के काश्तकारान ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतन्त्र सहमति से प्रस्तुत कर यह कथन किया था कि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 2,3,8,9,12,13,18,19,22,23 की कृषि भूमि , जो वर्तमान में अप्रार्थीया शारदा देवी के नाम से है जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर दिनांक 12.12.1978 को इस शर्त के साथ रास्ता की स्वीकृति प्रदान की गई कि चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 14 में 1 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में 1 बिस्वा तथा मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा रास्ता निम्न शर्तो पर स्वीकृत किया गया : 1 बलराम मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 13 में 1 बिस्वा जमीन जोतराम को देगा, 2. कालूराम वगैरा पिसरान धन्नापुरी मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 7 में 1 बिस्वा जमीन जोतराम को देगा, 3. बलराम मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 2 व 3 में आधा आधा बिस्वा जमीन जोतराम को देगा। उकत आदेश की सहमति के आधार पर उक्त विवादित रास्ता वर्ष 1978 में रास्ता स्वीकृत किया गया था व रास्ता के बदले मुआवजा भी कृषि भूमि के रूप में अदा की गई थी। रास्ता का अंकन वा मुआवजा के बदले भूमि का अंकन जरिये इन्तकाल नम्बर 40 व 41 के द्वारा वर्ष 1978 में राजस्व रिकॉर्ड में किया हुआ है। रास्ता वर्ष 1978 से लगातार चल रहा था जिसे अपीलांट द्वारा अप्रेल 2022 में बन्द किया गया है व फरात काश्त कर अवरोध पैदा किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर तहसीलदार श्रीगगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 को बहाल रखा जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2022 को देखा। इसके अवलोकन से यह एक प्रशासनिक आदेश मात्र लगता है, किसी राजस्व न्यायालय का विधिवत निर्णय प्रतीत नहीं होता। न ही यह आदेश न्याय के सिद्धातों के अनुसरण में अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर देकर धारा 251 आर.टी. एक्ट के प्रावधानों/उपबंधों की पालना में पारित किया गया है। उक्त विवादित रकबा बाबत रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो " मूल ही भू0अ0 निरीक्षक नेतेवाला को सम्बोधित किया हुआ है में अंकित किया गया है कि मूल ही भेजकर लेख है कि मौका पर रिकॉर्ड की जांच कर प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण कर स्वीकृत शुदा रास्ता हो तो मौका पर चालू कराकर पालना पेश करें" उक्त प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीया शारदा देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट देहखातेदार के नाम चक 7 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 2,3,8,9,12,13,18,19,22,23 प्रत्येक सालम कुल 2.530 हैक्टर नहरी भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त चक में आने जाजे हेतु इसी चक के इन्तकाल संख्या 40 दिनांक 12.12.1978 में मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 में 1 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत हुआ है जो खातेदार के खाता से काटकर खाता संख्या 1 में रिकॉर्ड दर्ज है। चक 7 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 52 व 53 के मौका पर पहुंचकर मुआयना किया। मौका पर मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1/1 तथा मुरब्बा नम्बर 53 किला नम्बर 5/1 में वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं है। मौका पर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1/1 में आधा बिस्वा हरा चारा (ज्वार) तथा आधा बिस्वा मूंग की फसल व मुरब्बा नम्बर 53 के किला नम्बर 5/1 में आधा बिस्वा हरा–चारा (ज्वार) तथा आधा बिस्वा मूंग की फसल काश्त है, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में वर्ष 1978 से दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु रास्ता मौका पर कभी चला नहीं है। उक्त रास्ता का खोले जाने से पूर्व तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट को सुनवाई का विधिवत् अवसार प्रदान किये गये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है जो न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। फलस्वरूप तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि न्याय के सिद्वातों के अनुसरण में अपीलांट को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसार देते हुए प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर